C/N. -197/2020

07/05/24 पत्रावली पेश हुई वादी एवं वकील वादी उप. वकील वादी द्वारा प्रार्थना. दावा विड्रो करने बाबत O22R1 C.P.C. का पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी अब उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नही करना चाहता है।

अतः वादी दावा का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राज. काश्त. अधि. 1955 का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

मुकेश चौधरी
पश्चात कार्यवाही
(देवकरण गुर्जर)
उप

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)